प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ:: दिनांक 15 फरवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8033/3-लेखा/पुनर्विनियोग/2023-24 दिनांक 23.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्द्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में रु0 0.24 लाख ,16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रु0 1.20 लाख, 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व में रु0 12.12 लाख, 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र में रु0 1.50 लाख एवं मानक मद-49-चिकित्सा व्यय में रु0 12.68 लाख तथा लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन- 80-सामान्य-104-संवर्द्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन के मानक मद-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रु0 49.00 लाख अर्थात कुल रु0 76.74 लाख (रुपये छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्द्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के मानक मद-01-वेतन में प्राविधानित धनराशि रु0 1280.00 लाख में से लेखाशीर्ष- 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्द्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में रु0 0.24 लाख ,16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रु0 1.20 लाख, 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व में रु0 12.12 लाख, 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र में रु0 1.50 लाख एवं मानक मद-49-चिकित्सा व्यय में रु0 12.68 लाख तथा लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन- 80-सामान्य-104-संवर्द्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन के मानक मद-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रु0 49.00 लाख अर्थात कुल रु0 76.74 लाख (रुपये छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन के आदेश संख्या-आई/496848/41-2099-14-2024-CN-1785701 दिनांक 15 फरवरी, 2024 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त धनराशि रु0 76.74 लाख (रुपये छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि 31.03.2024 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20232024-41-2099-14-2024-CN-1785701

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	01 (वेतन)	12,80,00,000 रुपये बारह करोड़ अस्सी लाख मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	76,74,000 रुपये छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र	76,74,000 रुपये छिहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र	12,03,26,000 रुपये बारह करोड़ तीन लाख छब्बीस हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 76,74,000	₹ 76,74,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452801040800 (पर्यटन पुलिस बल का गठन)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	49,00,000 रुपये उनचास लाख मात्र	49,00,000 रुपये उनचास लाख मात्र	4,49,00,000 रुपये चार करोड़ उनचास लाख मात्र	2023-2024
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	49 (चिकित्सा व्यय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	12,68,000 रुपये बारह लाख अड़सठ हजार मात्र	12,68,000 रुपये बारह लाख अड़सठ हजार मात्र	27,68,000 रुपये सत्ताईस लाख अड़सठ हजार मात्र	2023-2024
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	6,50,000 रुपये छह लाख पचास हजार मात्र	2023-2024
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र	12,12,000 रुपये बारह लाख बारह हजार मात्र	12,12,000 रुपये बारह लाख बारह हजार मात्र	82,12,000 रुपये बयासी लाख बारह हजार मात्र	2023-2024
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	1,20,000 रुपये एक लाख बीस हजार मात्र	1,20,000 रुपये एक लाख बीस हजार मात्र	5,20,000 रुपये पांच लाख बीस हजार मात्र	2023-2024
044	3452801040300 (अधिष्ठान)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	24,000 रुपये चौबीस हजार मात्र	24,000 रुपये चौबीस हजार मात्र	5,24,000 रुपये पांच लाख चौबीस हजार मात्र	2023-2024
कुल				₹ 76,74,000	₹ 76,74,000		

उपरोक्त पुनर्विनियोग धनराशि निम्नलिखित शर्तो व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

1- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्द्धन तथा प्रचार के मानक मद-01-वेतन के अन्तर्गत रू0 76.74 लाख की बचत संभावित है।
2- उपर्युक्त वर्णित मानक मदों में धनराशि की आवश्यकता वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्राविधान से अधिक व्यय सम्भावित होने के कारण है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-436-E-7-485-X-2023-24-दिनांक:12-02-2024

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

(कुंवर मकरंद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या:आई/496848/41-2099-14-2024-CN-1785701 दिनांक 15 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।